न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 95/2020

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
आई सी आई सी आई, बैंक लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय – आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टॉवर, चकली सर्किल के पास, पुराना पद्रा रोड़, वडोदरा–390007, गुजरात एवं शाखा कार्यालय – तीसरी मंजिल, स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री आशीष भनोत।	बनाम	1. आयुषी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जरिये प्रोपराइटर गणपतराम पताः 325, संजय कॉलोनी, नागौर, राजस्थान–341001 दूसरा पता–खसरा नं. 269/754, संजय कॉलोनी, नागौर, राजस्थान–341001 2. श्रीमति सीता देवी चौधरी पताः 325, संजय कॉलोनी, नागौर, राजस्थान–341001 दूसरा पता–खसरा नं. 269/754, संजय कॉलोनी, नागौर, राजस्थान–341001

आदेश दिनांकः– 12/02/2020

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ऋणी ऋण खाता संख्या **671805601480** के द्वारा **10,10,000/– (अक्षरे दस लाख दस हजार रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 10.11.2017** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– खसरा नं. 269/754 संजय कॉलोनी, नागौर, राजस्थान–341001 पर स्थित सम्पति जो पट्टा नं. भू.रू. 158/96 दिनांक 28.02.1997 को उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा जारी किया गया, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं। जिसका माप 153.33 वर्ग गज है। जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है– उत्तर में उदाराम का प्लॉट, दक्षिण में कल्लाराम का प्लॉट, पूर्व में छोटी बाई की बाड़ी एवं पश्चिम में 30 फीट रोड़ स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 30.06.2019** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये **10,48,946.60/–(अक्षरे दस लाख अड़तालिस हजार नो सौ छियालिस रुपये एवं साठ पैसा मात्र) दिनांक 31.07.2019 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 28.08.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड एडी डाक से भेजे गये धारा 13(2) के नोटिसेज के संबंध India Post पोर्टल से निकाली गई ट्रेक रिपोर्ट के अनुसार Item Returned Refused की रिपोर्ट है तत्पश्चात प्रार्थी उक्त नोटिसेज का हिन्दी व अंग्रेजी के दो समाचार पत्रों में प्रकाशन भी करवाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 10,48,946.60/–(अक्षरे दस लाख अड़तालिस हजार नो सौ छियालिस रुपये एवं साठ पैसा मात्र) दिनांक 31.07.2019 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

Scanned by CamScanner

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण– **खसरा नं. 269/754 संजय कॉलोनी, नागौर, राजस्थान–341001 पर स्थित सम्पति जो पट्टा नं. भू.रू. 158/96 दिनांक 28.02.1997 को उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा जारी किया गया, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं। जिसका माप 153.33 वर्ग गज है। जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है– उत्तर में उदाराम का प्लॉट, दक्षिण में कल्लाराम का प्लॉट, पूर्व में छोटी बाई की बाड़ी एवं पश्चिम में 30 फीट रोड़ स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से ऋण खाता संख्या **671805601480** के द्वारा **10,10,000/– (अक्षरे दस लाख दस हजार रुपये मात्र) रुपये ऋण सुविधा दिनांक 10.11.2017** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– खसरा नं. 269/754 संजय कॉलोनी, नागौर, राजस्थान–341001 पर स्थित सम्पति जो पट्टा नं. भू.रू. 158/96 दिनांक 28.02.1997 को उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा जारी किया गया, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं। जिसका माप 153.33 वर्ग गज है। जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है– उत्तर में उदाराम का प्लॉट, दक्षिण में कल्लाराम का प्लॉट, पूर्व में छोटी बाई की बाड़ी एवं पश्चिम में 30 फीट रोड़ स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, उक्त सम्पति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक नागौर विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 14:10:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: